

बिहार सरकार,
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग,पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम,
सभी मुख्य अभियंता(विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग,
मुख्य वास्तुविद, भवन निर्माण विभाग,
सभी अधीक्षण अभियंता(विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग,
सभी कार्यपालक अभियंता(विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग,
सभी वास्तुविद, भवन निर्माण विभाग,
कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग,पटना
स्थानिक अभियंता, बिहार निवास, 15-चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

पटना,दिनांक- 30/1/18

विषय:- विभागीय समीक्षात्मक बैठक के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि मुख्य सचिव,बिहार, पटना के निदेश के आलोक में विभागीय कार्यों की समीक्षात्मक बैठक दिनांक:-07.02.2018 को विश्वेश्वरेया भवन स्थित सभागार में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई है:-


क्र०	विभाग का नाम	समय
1	भवन निर्माण विभाग	10.00-10.30 बजे पूर्वाह्न प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के क्रियान्वयन एवं भ.नि.वि. की योजनाओं के संबंध में)
2	विधि विभाग	10.30-10.50 बजे पूर्वाह्न
3	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	10.50-11.10 बजे पूर्वाह्न
4	ग्रामीण विकास विभाग	11.10-11.30 बजे पूर्वाह्न
5	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	11.30-11.45 बजे पूर्वाह्न
6	वित्त विभाग	11.45-12.00 बजे पूर्वाह्न
7	वाणिज्य कर विभाग	12.00-12.15 बजे अपराह्न
8	निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग	12.15-12.30 बजे अपराह्न
9	योजना एवं विकास विभाग	12.30-12.50 बजे अपराह्न
10	श्रम संसाधन विभाग	12.50-01.20 बजे अपराह्न
11	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	01.20-01.40 बजे अपराह्न
12	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	01.40-02.00 बजे अपराह्न
13	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	03.00-03.30 बजे अपराह्न
14	सामान्य प्रशासन विभाग	03.30-03.50 बजे अपराह्न
15	गृह(कारा) विभाग	03.50-04.10 बजे अपराह्न
16	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	04.10-04.30 बजे अपराह्न
17	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	04.30-04.40 बजे अपराह्न
18	परिवहन विभाग	04.40-04.50 बजे अपराह्न
19	ए0सी0/डी0सी0 विपन्न,वाद/अवमाननावाद, सेवांत लाभ तथा विभागीय शिकायत निवारण समिति से संबंधित	4.50-06.00 बजे अपराह्न

बैठक में प्रमंडल अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं (योजना मद एवं गैर योजना मद) की प्रगति की समीक्षा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव के साथ की जायेगी। बैठक में पी0 एम0 आई0 एस0 में इन्टी ए0सी0/डी0सी0 विपत्र, वाद/अवमाननावाद, सेवांत लाभ तथा लोक शिकायत निवारण से सम्बन्धित मामले की समीक्षा की जायेगी। बैठक के लिए प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 1727(भ) दिनांक 16.02.16 एवं पत्रांक 2974(भ) दिनांक 21.03.2016 के द्वारा संलग्न विहित प्रपत्र में प्रमंडल अन्तर्गत सभी योजनाओं(जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है) की भौतिक/वित्तीय प्रगति के साथ समर्पित किया जाए। साथ ही अगले माह से प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक पिछले माह तक का प्रतिवेदन अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाए। मासिक लेखा एवं फार्म-51 की स्थिति एवं अन्य प्रतिवेदन भी विहित प्रपत्र में बैठक के पूर्व समर्पित करेंगे।

समीक्षात्मक बैठक की तिथि तक जिन योजनाओं के लिए आवंटन अप्राप्त हो, उसकी अध्याचना पी0एम0आई0एस0 के विहित प्रपत्र में अपलोड करते हुए इसकी हार्ड कॉपी (अध्याचित राशि के लिए वांछित अभिलेखों की प्रति के साथ) हाथो-हाथ समीक्षात्मक बैठक में उपलब्ध करायेंगे।

उपर्युक्त क्रम में आपको निदेशित किया जाता है कि बैठक में अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन (योजना एवं गैर योजना कार्यों के लिए अलग-अलग)/अन्य प्रतिवेदन एवं टैबलेट के साथ ससमय भाग लिया जाये। बैठक में किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व मान्य नहीं होगा।

विश्वासभाजन


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-

920 (3)

पटना,दिनांक:

30/1/18

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।


29/1/18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव


ज्ञापांक-

920 (3)

पटना,दिनांक:

30/1/18

प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव/ उपसचिव/ निदेशक,अनुश्रवण सह मूल्यांकन सह क्रय कोषांग/ उपनिदेशक-1,2/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/भू-सम्पदा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव,भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29/1/18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-

920 (3)

पटना,दिनांक:

30/1/18

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर,भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29/1/18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

